2024/ACII/20/15/PFA/e

I/3096637/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

e-3462248

No. 2024/AC-II/PFA-conference/1 New Delhi, Dated: 28th May,2024

Principal Financial Advisors

All Zonal Railways/ PUs .

Sub: Conference of PFA's held on 22nd May 2024- Minutes and action to be taken thereon reg.

****

The conference of Principal Financial Advisors held on 22nd May 2024 saw active participation from all Zonal Railways and PUs. Wide range of topics were discussed during the conference to set the context of important items that need to be monitored during FY. 2024-25. The major items discussed and action to be taken on them are detailed below:-

1. A detailed review of **Capital and Revenue Budget** was undertaken. Zonal railways and production units which have high revenue expenditure growth(more than 20%) in certain Primary units need to do a thorough analysis to ascertain the reasons and action that needs to be taken. A report detailing the reasons and an action plan to control this expenditure must be submitted to Railway Board by 15th June. It was also discussed that proactive measures need to be taken to increase the sundry revenue through monitoring of e-auction portal.

2. The actual expenditure on **Inventories** for the year 2023-24 was 990.8% of the previous year. Railway Board vide letter No 2023-B-116 Dated 01-05-2024 had sought report in this regard. Zonal railways and Production Units which have exceeded the expenditure under Inventories and are yet to furnish the report, should submit the same detailing the reasons for excess expenditure under inventories, by 15th June. All efforts must be made to reduce the inventory balances and adhere to the targets in this financial year through better planning and monitoring.

3 . **Appendix IIIA** exam is scheduled to be held on 18th and 19th June 2024. All efforts must be made by the Zonal Railways to ensure that the exam is conducted in a smooth, fair and transparent manner. Adequate training to the candidates must be provided. Zonal Railway must ensure that any action on Railway Board's instruction issued in this regard are taken swiftly.

4. **Audit paras** require special attention of the PFA's. With over 7400 Audit notes, special letters and audit inspection report, a special drive should be undertaken to take necessary action on these audit observations. All zonal railways with more than 200 pending observation should send an Action Taken Report (ATR) in this regard by 30th June 2024.

5. Timely finalization of **Station balance sheets** is crucial for preparation of Traffic Book Part A. Zonal Railways must ensure that the station balance sheets are finalized swiftly. With an aim to ensure 100% submission of balance sheet through system, PFAs must update the position of manual and system balance sheet in TAMS by 10th June 2024.

6. **Productivity tests** hold great relevance to monitor the benefits of any project and return on the capital invested. In this regard, it was brought out that only one Zonal Railway has done the productivity test after the standard proforma calculation of FIRR was circulated. All Zonal Railways should ensure that productivity test for at least two projects must be done by 30th June 2024 and reports submitted to Board.

7. **IPAS exception reports** are important tools to facilitate and strengthen internal checks. All exception reports under various modules should be checked on regular basis. Level of check at the officer level may be determined by the Zonal Railway. Action taken in this regard & findings of check should form part of the MCDO.

8. In order to fully claim the benefit of **GST Input tax credit**, all effort must be made to resolve any issues regarding this. Zonal Railway should take an exercise on mission mode to ensure that all unresolved ITC amounts are cleared by 30th June 2024.

9. **Inter Zonal Accounts office inspection** was introduced with the objective to conduct timely inspection while also improving the overall quality of inspection and proliferation of best practices. All Zonal Railways must, therefore ensure that Annual plan is drafted for ensuring that units are inspected in a time bound manner. Further more emphasis must be given on the quality of inspections & subsequent follow up for rectification of shortcomings detected. Arrears/Pendency in this regard may be cleared by 30th June 2024.

10. Other issues like NPS, pension, MCDO, bills recoverable, traffic suspense etc were also discussed. A copy of presentation is also enclosed for taking a comprehensive action on all the items. Besides, efforts must be taken by Zonal Railway to identify all the areas

I/3096637/2024

of improvement and an Action plan regarding this be drawn with clear timelines.

Signed by
Basant Kumar Singh
Date: 28-05-2024 11:55:35

(Basant K. Singh)
Pr.Executive Director/Accounts
Railway Board

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAY
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

सं. 2024/एसी-II/पीएफए-कांफ्रेंस/1 नई दिल्ली, दिनांक: 28 मई, 2024

प्रधान वित्तीय सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: 22 मई 2024 को आयोजित प्रधान वित्तीय सलाहकार का सम्मेलन- कार्यवृत एवं अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में

22 मई 2024 को आयोजित प्रधान वित्तीय सलाहकारों के सम्मेलन में सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुवीक्षित किए जाने वाले महत्वपुर्ण मदों का प्रसंग सुनिश्चित करने हेतु सम्मेलन में व्यापक स्तर के विभिन्न मुद्दो पर मंथन किया गया। प्रमुख मदों पर चर्चा की गई एवं उनपर प्रस्तावित कार्रवाईयों का विवरण निम्नानुसार है:

1. पूंजीगत एवं राजस्व बजट की विस्तृत समीक्षा की गई। क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों जिनकी कुछ प्राथमिक इकाइयों में उच्च राजस्व व्यय वृद्धि (20% से अधिक) पायी गई है, के द्वारा इसके कारणों एवं अपेक्षित कार्रवाइ का पता लगाने के लिए व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। इस तरह के व्यय को नियंत्रित करने के लिए कारणों एवं आवश्यक कार्य योजना का विवरण देने वाली रिपोर्ट 15 जून तक रेलवे बोर्ड को सौंपी जानी चाहिए। ई-नीलामी की निगरानी के माध्यम से विविध राजस्व बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले अग्रसक्रीय उपायो के बारे में भी विमर्श किया गया।

2. वर्ष 2023-24 के लिए इन्वेंटरी पर वास्तविक व्यय पिछले वर्ष का 990.8% था। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 01-05-2024 के अपने पत्र सं. 2023-बी-116 के अन्तर्गत इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। जो क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों ने इन्वेंटरी पर व्यय से अधिक खर्च किया है एवं अभी तक रिपोर्ट नही सौंपी है, वो इन्वेंटरी पर अधिक व्यय के कारणों का ब्यौरा देते हुए 15 जून तक इसे प्रस्तुत करे। बेहतर योजना और निगरानी के माध्यम से

इस वित्तीय वर्ष में इन्वेंटरी बैलेंस को कम करने और लक्ष्यों का पालन करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

3. 18 एवं 19 जून 2024 को परिशिष्ट IIIए परीक्षा का आयोजन किया जाना है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा परीक्षा का सुगम, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस संबंध में रेलवे बोर्ड से जारी अनुदेशों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4. लेखापरीक्षा पैराओं पर प्रधान वित्तीय सलाहकारों के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 7400 से अधिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों, विशेष पत्रों और लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ, इन लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। 200 से अधिक लंबित टिप्पणियों वाले सभी क्षेत्रीय रेलवे को इस संबंध में 30 जून 2024 तक एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजनी चाहिए।

5. ट्रैफिक बुक भाग क तैयार करने के लिए स्टेशन बैलेंस शीट को समय पर अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टेशन की बैलेंस शीट को तेजी से अंतिम रूप दिया जाए। प्रधान वित्तीय सलाहकार 10 जून 2024 तक यातायात लेखा प्रबंधन प्रणाली में नियमावली और प्रणाली बैलेंस शीट की स्थिति का अघतनीकरण सुनिश्चित करें।

6. किसी भी परियोजना के लाभों की निगरानी करने और निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल के लिए उत्पादकता परीक्षण बहुत प्रासंगिक हैं। इस संबंध में यह बात सामने आई कि वित्तीय आतंरिक प्रतिफल दर की मानक प्रपत्र गणना परिचालित करने के बाद केवल एक क्षेत्रीय रेलवे ने उत्पादकता परीक्षण किया है। सभी क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम दो परियोजनाओं के लिए उत्पादकता परीक्षण 30 जून 2024 तक किया जाना चाहिए और रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. आंतरिक जांच को सुविधाजनक बनाने और मजबूत करने के लिए आईपास अपवाद रिपोर्ट महत्वपूर्ण उपकरण हैं। विभिन्न मॉड्यूलों के तहत सभी अपवाद रिपोर्टों की नियमित आधार पर जांच की जानी चाहिए। अधिकारी स्तर पर जांच का स्तर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा

निर्धारित किया जा सकता है। इस संबंध में की गई कार्रवाई और जांच का निष्कर्ष एमसीडीओ का हिस्सा होना चाहिए।

8. जीसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ को पूर्ण रूप से उपभोग करने के लिए, इससे संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर एक पहल करना चाहिए ताकि सभी अनसुलझे आईटीसी राशि का 30 जून 2024 तक निपटान हो जाएं।

9. अंतर-क्षेत्रीय लेखा कार्यालय निरीक्षण समय पर निरीक्षण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जबकि निरीक्षण की समग्र गुणवत्ता में सुधार और सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार भी किया गया था। इसलिए सभी क्षेत्रीय रेलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इकाइयों का समयबद्ध तरीके से निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना का मसौदा तैयार किया जाए। इसके अलावा, निरीक्षणों की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और बाद में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में बकाया/लंबित मामलों का निपटान 30 जून 2024 तक किया जाए।

10. एनपीएस, पेंशन, एमसीडीओ, वसूली योग्य बिल, यातायात उचंत आदि जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सभी मदों पर व्यापक कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुतीकरण की एक प्रति भी संलग्न है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सुधार के सभी क्षेत्रों की पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए और इस संबंध में स्पष्ट समय-सीमा के साथ एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

(बसंत के. सिंह)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड